

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल में सफाई निरीक्षक और सफाई अधीक्षक के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं0 एवी.14017/61/2008-स्थापना(आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल में सफाई निरीक्षक और सफाई अधीक्षक के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न हैं।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्ति/ठिप्पणियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक पण्धारक भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे, (Thenkholal baite) अनुभाग अधिकारी (एमएच-II), कमरा सं. 405ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

जी. पी. सामंत  
(जी. पी. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष: 011-23061521

नई दिल्ली

दिनांक: 12/10/2019

(भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख : 2019

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल, (श्रेणी III पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सफाई निरीक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सफाई निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सफाई निरीक्षक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन-मेट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहता :** वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुशेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम                                                                                                                                                                | पदों की संख्या | वर्गीकरण                                                                                                              | वेतन मेट्रिक्स में स्तर                                                                                                        | चयन पद अथवा<br>अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले<br>ठ्यकितयों के लिए आयु सीमा |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                      | (2)            | (3)                                                                                                                   | (4)                                                                                                                            | (5)                    | (6)                                                   |
| सफाई<br>निरीक्षक                                                                                                                                                         | 07* (2019)     | साधारण केन्द्रीय सेवा,<br>समूह 'ग' अराजपत्रित,<br>अननुसंचिवीय<br>*कार्यभार के आधार<br>पर परिवर्तन किया<br>जा सकता है। | वेतन मेट्रिक्स में स्तर -<br>4 (25500-81100<br>रुपये)                                                                          | लागू नहीं              | 18-25 वर्ष के बीच                                     |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले ठ्यकितयों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएँ                                                                                               |                |                                                                                                                       | सीधे भर्ती किए जाने वाले ठ्यकितयों के लिए विहित आयु<br>और शैक्षिक अहंताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू<br>होंगी या नहीं |                        |                                                       |
| (7)                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                       | (8)                                                                                                                            |                        |                                                       |
| किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास के साथ सफाई निरीक्षक या<br>स्वास्थ्य निरीक्षक या सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक या स्वास्थ्य सफाई निरीक्षक का डिप्लोमा। |                |                                                                                                                       | लागू नहीं होता।                                                                                                                |                        |                                                       |
| (7)                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                       | (8)                                                                                                                            |                        |                                                       |

|                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होनी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विशिष्ट पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिकित्यों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। |
| (9)                            | (10)                                                                                                                                                   | (11)                                                                                                                           |
| दो वर्ष।                       | सीधी भर्ती द्वारा                                                                                                                                      | लागू नहीं होता।                                                                                                                |

|                                                 |                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
| (12)                                            | (13)                                                                         |
| विभागीय पुष्टि समिति:                           | लागू नहीं होता।                                                              |

विभागीय पुष्टि समिति:

- अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष
- संबन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य
- उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयमें सफदरजंग अस्पताल का कार्य संभालने वाले उप निदेशक -सदस्य

[ए.11018/03/2018-एमएच-11]

(जी.पी. सामंत)  
अवर सचिव, भारत सरकार

(भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख : 2019

### अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफाई अधीक्षक, समूह -'ग', सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सफाई अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सफाई अधीक्षक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहता :** वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुशेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम                                                                     | पदों की संख्या                                                                                                                                                                                                         | वर्गीकरण                                                                                                                         | वेतन मेट्रिक्स में स्तर                        | चयन पद अध्यवा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| (1)                                                                           | (2)                                                                                                                                                                                                                    | (3)                                                                                                                              | (4)                                            | (5)           | (6)                                                 |
| सफाई अधीक्षक                                                                  | 02* (2019)                                                                                                                                                                                                             | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अनुजपत्रित, 92300 रुपये)<br>*कार्यक्रार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।                     | वेतन मेट्रिक्स में स्तर -5 (29200-92300 रुपये) | अचयन          | लागू नहीं                                           |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। | अन्य अर्हताएं।                                                                                                                                                                                                         | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।      | (7)                                            | (8)           | लागू नहीं                                           |
| लागू नहीं                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                |               |                                                     |
| परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो।                                                | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे क्षेत्रियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | (9)                                            | (10)          | (11)                                                |
| लागू नहीं                                                                     | प्रोन्नति द्वारा                                                                                                                                                                                                       | वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले सफदरजंग अस्पताल के सफाई निरीक्षक से प्रोन्नति                         |                                                |               |                                                     |

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>विभागीय प्रुष्टि समिति:</b><br>1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजांग अस्पताल, नई दिल्ली<br>2. संबन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष, सफदरजांग अस्पताल, नई दिल्ली<br>3. निदेशक या उप निदेशक चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय | <b>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</b> |
| (12)                                                                                                                                                                                                                            | (13)                                                                               |
| विभागीय प्रुष्टि समिति:                                                                                                                                                                                                         | लागू नहीं होता।                                                                    |

[ए.11018/03/2018-एमएच-11]

(जी.पी. सामंत)  
अवर सचिव, भारत सरकार